

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर।

पत्रांक: बेसिक / मान्यता / 1048-50 / 2021-22 दिनांक 18-5-2021

प्रबन्धक,

निर्मला कान्चेन्ट स्कूल

शिवपुरी, नगर क्षेत्र- बुलन्दशहर

जनपद-बुलन्दशहर।

विषय:- वर्ष 2020-21 में अशासकीय, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय को प्रदत्त 1 वर्ष की अस्थायी मान्यता के उपरान्त, आर0टी0ई0-2009 के अनुसार विद्यालय नियमित रूप से संचालित होने पर स्थायी मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, के शासनादेश संख्या: 89/अरसठ-3-2018-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी, 2019 एवं शासनादेश संख्या: 196 / अडसठ-03-2020-2041 / 2018, बेसिक शिक्षा अनुभाग-03 दिनांक 29.06.2019 के अनुपालन में, आपके द्वारा प्रस्तुत मान्यता आवेदन पत्र-पत्रावली के अनुसार खण्ड शिक्षा अधिकारी के स्थलीय निरीक्षण उपरान्त, मान्यता की शर्तें पूर्ण पाये जाने एवं उनकी संस्तुति पर, जनपदीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 03.12.2019 में लिये गये निर्णय के अनुसार अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्र संख्या बेसिक/मान्यता/9388-90/2019-20 दिनांक 03.12.2019 के द्वारा दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 31.03.2021 तक 01 (एक) वर्ष की अवधि हेतु निर्मला कान्चेन्ट स्कूल शिवपुरी, नगर क्षेत्र-बुलन्दशहर जनपद-बुलन्दशहर को कक्षा 01 से कक्षा 05 तक की अस्थायी मान्यता प्रदान की गयी थी।

आपके पत्र दिनांक 12.04.2021 एवं शपथ पत्र दिनांक 12.04.2021 के क्रम में अधोहस्ताक्षरी के आदेश दिनांक 17.04.2021 के द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र अगौता से उक्त विद्यालय का परीक्षण कराया गया।

खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र अगौता ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या: 17/2021-22 दिनांक 12.05.2021 के द्वारा उक्त विद्यालय के स्थलीय परीक्षण उपरान्त, आख्या अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध करायी जिसमें स्पष्ट किया गया कि निर्मला कान्चेन्ट स्कूल शिवपुरी, नगर क्षेत्र- बुलन्दशहर जनपद-बुलन्दशहर द्वारा शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (आर0टी0ई0-2009) के अनुसार सभी शर्तें पूर्ण कर ली गयी हैं और विद्यालय नियमित रूप से संचालित है तथा उनके स्तर से उक्त विद्यालय को स्थायी मान्यता की संस्तुति की गयी है।

अतः आपके पत्र दिनांक 12.04.2021 तथा शपथ पत्र दिनांक 12.04.2021 और खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र अगौता की आख्या एवं संस्तुति दिनांक 12.05.2021 के क्रम में, निर्मला कान्चेन्ट स्कूल शिवपुरी, नगर क्षेत्र- बुलन्दशहर जनपद-बुलन्दशहर को स्थायी मान्यता प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में विभागीय नियमों के विपरीत तथ्य प्रकाश में आते हैं तो प्रदान की गयी स्थायी मान्यता स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(अखण्ड प्रताप सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

बुलन्दशहर

/ 2020-21 तद दिनांक

पृ0सं0- बेसिक / मान्यता /

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) मेरठ मण्डल मेरठ।
2. खण्ड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र-बुलन्दशहर, जनपद बुलन्दशहर।

Pratika
ATTESTED

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बुलन्दशहर।

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर।

पत्रांक: बेसिक / मान्यता / 1045-47

/ 2021-22 दिनांक 18-05-2021

प्रबन्धक,

निर्मला कान्वेन्ट स्कूल

शिवपुरी, नगर क्षेत्र- बुलन्दशहर

जनपद-बुलन्दशहर।

विषय:- वर्ष 2020-21 में अशासकीय, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय को प्रदत्त 1 वर्ष की अस्थायी मान्यता के उपरान्त, आर0टी0ई0-2009 के अनुसार विद्यालय नियमित रूप से संचालित होने पर स्थायी मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, के शासनादेश संख्या: 89/असठ-3-2018-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी, 2019 एवं शासनादेश संख्या: 196 / अडसठ-03-2020-2041 / 2018, बेसिक शिक्षा अनुभाग-03 दिनांक 29.06.2019 के अनुपालन में, आपके द्वारा प्रस्तुत मान्यता आवेदन पत्र-पत्रावली के अनुसार खण्ड शिक्षा अधिकारी के स्थलीय निरीक्षण उपरान्त, मान्यता की शर्तें पूर्ण पाये जाने एवं उनकी संस्तुति पर, मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 14.10.2019 में लिये गये निर्णय के अनुसार अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्र संख्या बेसिक/मान्यता/7743-45/2019-20 दिनांक 14.11.2019 के द्वारा दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 31.03.2021 तक 01 (एक) वर्ष की अवधि हेतु निर्मला कान्वेन्ट स्कूल शिवपुरी, नगर क्षेत्र- बुलन्दशहर जनपद-बुलन्दशहर को कक्षा 06 से कक्षा 08 तक की अस्थायी मान्यता प्रदान की गयी थी।

आपके पत्र दिनांक 12.04.2021 एवं शपथ पत्र दिनांक 12.04.2021 के क्रम में अधोहस्ताक्षरी के आदेश दिनांक 17.04.2021 के द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र अगौता से उक्त विद्यालय का परीक्षण कराया गया।

खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र अगौता ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या: 17/2021-22 दिनांक 12.05.2021 के द्वारा उक्त विद्यालय के स्थलीय परीक्षण उपरान्त, आख्या अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध करायी जिसमें स्पष्ट किया गया कि निर्मला कान्वेन्ट स्कूल शिवपुरी, नगर क्षेत्र- बुलन्दशहर जनपद-बुलन्दशहर द्वारा शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (आर0टी0ई0-2009) के अनुसार सभी शर्तें पूर्ण कर ली गयी हैं और विद्यालय नियमित रूप से संचालित है तथा उनके स्तर से उक्त विद्यालय को स्थायी मान्यता की संस्तुति की गयी है।

अतः आपके पत्र दिनांक 12.04.2021 तथा शपथ पत्र दिनांक 12.04.2021 और खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र अगौता की आख्या एवं संस्तुति दिनांक 12.05.2021 के क्रम में, निर्मला कान्वेन्ट स्कूल शिवपुरी, नगर क्षेत्र- बुलन्दशहर जनपद-बुलन्दशहर को स्थायी मान्यता प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में विभागीय नियमों के विपरीत तथ्य प्रकाश में आते हैं तो प्रदान की गयी स्थायी मान्यता स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(अखण्ड प्रताप सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बुलन्दशहर

/ 2020-21 तद दिनांक

पृ0सं0- बेसिक / मान्यता /

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) मेरठ मण्डल मेरठ।
2. खण्ड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र-बुलन्दशहर, जनपद बुलन्दशहर।

S. Preetika
ATTESTED

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बुलन्दशहर।